

19.12.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई
गई। वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये
है। अतः वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(दिलीप सिंह) 19/12/22

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

